कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक : 4858/14–1 (FP/UP/ Road/121197/2021)मुजफ्फरनगर दिनांक, 25 06.2022

सेवा में,

1– प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर ।

2– प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मिर्जापुर ।

विषयः– चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष,मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एव 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ.सी./403 दिनांक–21.09.2021, इस कार्यालय का पत्रांक–4778/14–1(FP/UP/ Road/121197/2021), दिनांक–19.06.2022, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर का पत्रांक–3350/14–10 दिनांक–20.06.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोड़ल अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक–3696/11सी–एफ0पी0/ यू0पी0/रोड/121197 दिनांक 23.06.2022।

महोदय,

चौधरी चरण सिहं, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष,मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एव 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ.सी./403 दिनांक–21.09.2021 द्वारा कतिपय अभिलेखों / सूचनाओं की वांछना की गयी थी, जिसके क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक–19.06.2022 एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर के संदर्भित पत्र दिनांक–20.06.2022 द्वारा भारत सरकार के संदर्भित दिनांक–21.09.2021 के अनुपालन में आवश्यक अभिलेख/अनुपालन आख्या नियमानुसार मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित किये गये, जिसके क्रम में मुख्यं वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उक्त अभिलेख/ अनुपालन आख्या का परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त उक्त अभिलेख/अनुपालन आख्या में कतिपय कमियां पायी गयी। जिसके क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक–23.06.2022 द्वारा उनके कार्यालय को प्रेषित किये गये अभिलेख/अनुपालन आख्या मूल में वापस करते हुए अपेक्षा की गयी है कि उनके कार्यालय को प्रेषित की गयी सूचना/अनुपालन आख्या में उनके पत्र दिनांक–23.06.2022 के अनुसार कमियों का निराकरण कर वांछित सूचना / अभिलेख समेकित कर उनके कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।

अतः मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का संदर्भित पत्र दिनांक–23.06.2022 की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए इस आशय से प्रेषित कि अपने प्रभाग से संबंधित सूचना / वांछित अभिलेख 07 प्रतियों में मूल में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ.सी./403 दिनांक–21.09.2021 के अनुपालन में वांछित सूचना निमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

पत्रांक 4858 / 14–1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर एवं मेरठ वृत्त मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ एवं गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि परियोजना से भिज्ञ किसी अधिकारी को नामित करते हुए निर्देशित करें वह कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मिर्जापुर एवं ललितपुर से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करते हुए मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के संदर्भित पत्र दिनांक–23.06.2022 के क्रम में वांछित अभिलेख 07 प्रतियों में प्राप्त करते हुए इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, साथ ही 223.0 है0 गैर वन भूमि से संबंधित अभिलेख नियमानुसार परिवेश पॉर्टल पर प्रयोक्ता अभिकरण के भाग–। में अपलोड करने का कष्ट करें।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

89G:\My Drive\1.SHARE FOLDER 2021\important soft\HELP\Forest Land 2021-22.docx